FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अरांई, अजमेर

• विजयलक्ष्मी बनाम सुमेर सिंह

किस्म मुकदमा – निर्णय प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 , 2) सपठित धारा 151 सी.पी.सी

वकील प्रार्थी श्री भवानी सिंह वकील अप्रार्थीगण 40/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
26/5/26	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री भवानी सिंह राठौड द्वारा पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र संख्या 53/2023 बउनवानी विजयलक्ष्मी बनाम सुमेर सिंह अन्तर्गत धारा 39 नियम 02ए सी.पी.सी. का पेश किया गया था जिसमें प्रार्थीया के पूर्व अधिवक्ता द्वारा संशोधित शीर्षक पेश नहीं करने के कारण ही प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अदम तकमील में खारिज कर दिया गया जबकि प्रार्थीया के पूर्व अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीया को इस बाबत किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी। अतः श्रीमान से निवेदन हे कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल प्रार्थना पत्र संख्या 53/2023 को रिस्टोर करने की कृपा करें। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार वकील प्रार्थीया के पूर्व अधिवक्ता द्वारा संशोधित शीर्षक पेश नहीं करने के कारण प्रार्थना पत्र को अदम तकमील में खारिज कर दिया गया था जिस बाबत प्रार्थीया को सूचना नहीं होना अंकित किया गया है। अतः न्यायहित में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मूल प्रार्थना पत्र संख्या 53/2023 उनवान विजयलक्ष्मी बनाम सुमेर सिंह अन्तर्गत धारा 39 नियम 02ए सी.पी.सी.को पुनः नम्बर पर लिया जाता है। वकील प्रार्थी को हिदायत दी जाती है कि उक्त वाद में केवल एक ही पेशी पर संशोधित शीर्षक पेश कर देवें। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	